



हत्या की घटना में वांछित 10 हजार का इनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड मे गिरफ्तार

अवगत कराना हैं कि दिनांक 21.09.2021 को समय करीब 8.15 बजे रात्रि भाला से हमला व तमंचा से फायर करते हुये गोली मारकर श्रीराम प्रजापति पुत्र देवीदीन निवासी ग्राम अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर की हत्या की गयी थी। जिसके संबंध में थाना मौदहा में मु0अ0सं0-280/2021, धारा-302 भा0द0सं0 पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी पर ₹10000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23/09/2021 को मुखबिर से सूचना मिली की मनोज पुत्र बरदानी अवैध शस्त्र के साथ कहीं जाने की फिराक में सिसोलर से मौदहा जाने वाली रोड नहर पुलिया के पास किसी साधन का इन्तजार कर रहा है कि सूचना पर में सिसोलर पुलिस मौके पर पहुंची और रोकने का प्रयास किया घिरता हुआ देख पुलिस के उपर जान से मारने की नियत से फायर किया पुलिस ने साहस का परिचय देते हुये मुठभेड के दौरान पकड लिया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद फायर शुदा खोखा कारतूस बरामद हुआ भागने का कारण पूछा गया तो बताया दिनांक 21.09.21 मैं गांव के रहने वाले श्रीराम पुत्र देवीदीन प्रजापति की भला मार कर तथा मेरे पिता ने गोली मारकर हत्या कर दिया। पकडे गये अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल भाला को जंगल से बरामद किया गया बरामदगी व आलाकत्ल भाला के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 280/21 धारा 302 आईपीसी के आधर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 176/21 धारा 307 आईपीसी व मु0अ0सं0 177/21 धारा 3/25 A.ACT का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

➤ मनोज वर्मा पुत्र बरदानीलाल नि0 अरतरा थाना मौदहा

पंजीकृत अभियोग का विवरण

- 1.मु0अ0सं0 176/21 धारा 307 IPC (पुलिस मुठभेड)
- 2.मु0अ0सं0 177/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- 3.मु0अ0सं0 280/21 धारा 302 आईपीसी मौदहा

बरामदगी का विवरण:-

- 1)एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस
- 2)एक अदद आलाकत्ल भाला सम्बन्धित मु0अ0सं0 280/21 धारा 302 आईपीसी थाना मौदहा

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- | | |
|---|--------------------|
| 1)थानाध्यक्ष हेमन्त कुमार मिश्र थाना सिलोलर | 3)का0 नवीन कुमार |
| 2)उ0नि0 श्री संजय मिश्र | 4)का0 कुलदीप मिश्र |

